कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

G2G

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 1610 /12–1 हल्द्वानी, दिनांक 17-1- 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के कि0मी0 0.000(देवला मल्ला) से किमी0 0.200 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 (पूर्व में 1.53 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।**

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 22.10.2024 एवं आपका पत्रांक 1809/12–1, दिनांक 04.01.2025।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है, कि विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों के माध्यम से 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। जिसके सापेक्ष उक्त बिन्दुओं की सूचना निम्नवत् है।

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	In the original proposal CA scheme uploaded for Rs 1489400.00 and the UA has deposited Rs. 816800.00 only against CA clarification in this regard is required to be submitted.	विषयगत प्रकरण अन्तर्गत सी0ए0 योजना में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1459/3–5–2 P.O , दि0 01.07.2021 द्वारा वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दि0 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार निर्धारण किया गया। **(प्रति संलग्न–1)** जिसके कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर रू0 448791.00 से उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि 1.82 है0 रू0 816800.00 (आठ लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि आंकलित की गयी। उक्त बिंदु के अनुपालन में यह भी अवगत कराना है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन अनुसार रू 1489400.00 (चौदह लाख नवासी हजार चार सौ मात्र) की धनराशि आंकलित की गयी है। **(प्रति संलग्न–2)**
2	FRA certificate is not found submitted which is required to be submitted/uploaded.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि FRA certificate पूर्व में मूल में प्रेषित है। पुनः छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(प्रति संलग्न–3)**

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

पत्रांकः– 1610 **/12–1, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित की परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ई0डी0एस0 का प्रतिउत्तर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

ई-मेल-eepdpwdntl@gmail.com

दिनॉक :- 11 /12/2024

पत्रांक :-3887/29mg

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी
नैनीताल।

12/12/24
भा०

विषय :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.000 (देवल मल्ला) से किमी0 0.200 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0 (पूर्व में 1.53 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (**Online Proposal No FP/UK/ROAD/20099/2016)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8वी0/यू0जी0पी0/06/215/2016/एफ0सी0 शून्य दिनांक 22.10.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण पुनः प्रेषित है।

क0सं0	आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	In the original proposal CA scheme uploaded for Rs 1489400.00 and the UA has deposited Rs. 816800.00 only against CA Clarification in this regard is required to be submitted	विषयांकित मार्ग का पूर्व में प्रस्ताव 1.53 हे0 भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव संसोधित कर पुनः 0.91 है0 किया गया एक हेक्टेयर से कम होने के कारण सी0ए0 की आवश्यकता नही थी जिसके परिपेक्ष्य में प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी के पत्र संख्या 1032/12-1 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1820 पौध का रोपण कार्य के अन्तर्गत 1.82 हे0 अवनत वन भूमि एवं 10 वर्षो का रख रखाव सहित 448791.00 प्रति हे0 की दर से 816800.00 की मांग के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी से सत्यापन उपरान्त भुगतान किया गया।
2	FRA certificate is not found submitted which is required to be submitted/uploaded.	FRA certificate पूर्व में मूल में प्रेषित है पुनः छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(इं0 रत्नेश कुमार सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

हल्द्वानी वन प्रभाग
पत्रावली संख्या 12-1
क्रमांक 3557
दिनांक 12-12-2024

दिनॉक :- / /2024

पत्रांक :- /

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क कर निस्तारण करायें।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

85 राजपुर रोड, फोन 0135-2746934 फैक्स 0135-2741630 Mail Id. pccfuk@gmail.com

संख्या: 1559 /3-5-2 P.C   देहरादून: 01 जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या क-972/3-5-2(III) दिनांक 21-11-2017

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रस्तावित की जाने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण, 100 से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की 10 गुना संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। अतः उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया गया था। जिसमें प्रति वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था। (पताका-क)

2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजाति के वृक्षों के रोपण, मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के रोपण की दरें सन् 2020-21 तक निर्धारित की गई हैं। (पताका-ख)

अतः वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (रू0 में)	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (रू0 में)	रोड साईड वृक्षारोपण की दर प्रति किमी0 (रू0 में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा0 (रू0 में)
2021-22	370902.00	370902.00	556128.00	1464 प्रति वृक्ष
2022-23	407992.00	407992.00	611741.00	1610 प्रति वृक्ष
2023-24	448791.00	448791.00	672915.00	1771 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार परियोजना एजेन्सियों से धनराशि जमा कराई जाय, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(राजीव भरतरी) 1/7/21
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न-2

प्रपत्र-37

परियोजना का नामः-प्राक्कलन बावत् विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० सं० 0.00 (मल्ला दैयला) से किमी० सं० 2.00 तक मार्ग का सुधारीकरण , पुर्ननिर्माण व सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि कालूखेड़ा कक्ष सं० 6 में 1.90 कि०मी० के अन्तर्गत 1.82 है० वन भूमि का हस्तान्तरण

वृक्षारोपण स्थल का नामः-ककराली कक्ष सं० अ, शारदा राजि क्षेत्रफल 1.82 है० में रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या.... 1820 पौध

सकल- 2.9 है० **शुद्ध – 1.82 है०**

G.P.S:- N-29° 10'28.10" **E-79°35'43.95"**

क.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1.82	115.00	है०	209.30
2	क्षेत्र की सफाई एवं लेन्टाना युक्त झाड़ी कटान	1.82	10272.00	है०	18695.04
3	गड्ढो का समरेखण चूने की कीमत सहित	1.82	290.00	है०	527.80
4	गड्ढा खुदान (0.45x0.45x0.45)	1.82	12816.00	गड्ढे	23325.12
5	तारबाड़ (अ) तार की कीमत	1.82	8217.00	है०	14954.94
	पारिश्रमिक	1.82	1593.00	है०	2899.26
6	आर०सी०सी० पोल बनाना (0.10+0.08/2x0.10+0.08/2x2.00) mt (33 per pol 100 rm	1.82	14573.00	है०	26522.86
	आर०सी०सी० खम्बा का ढुलान एवं स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्य	1.82	2984.00	है०	5430.88
7	पौध का मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	1.82	7196.00	है०	13096.72
8	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव प्रचार-प्रसार डाक्यूमेंटेशन कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण वाहनों का रख-रखाव आदि)	1.82	2282.00	है०	4153.24
9	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	1.82	10000.00	है०	18200.00
				योग प्रथम चरण	128015.16
	द्वितीय वर्ष				
1	गड्ढो का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान	1.82	1567.000	है०	2851.94
2	पौधो का मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	1.82	3084.00	है०	5612.88
3	पौध ढुलान कार्य	1.82	4640.000	पौधा	8444.80
	5 कि०मी० से अधिक के ढुलान हेतु	1.82	112.000	है०	203.84
4	पौधो का रोपण स्थनीय ढुलान सहित	1.82	3562.00	पौधा	6482.84
5	निराई गुड़ाई प्रथम	1.82	2800.00	पौधा	5096.00
	द्वितीय	1.82	2240.00	है०	4076.80
	तृतीय	1.82	1400.00	है०	2548.00
6	वृक्षारोपण उपरान्त झाड़ी कटान/क्षेत्र की सफाई	1.82	2191.00	है०	3987.62
7	वन मोटर मार्ग से वृक्षारोपण क्षेत्र के पहुच मार्ग व निरिक्षण वटिया बनाना/मार्ग रखा-रखाव	1.82	639.00	है०	1162.98
8	कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए छप्पर	1.82	767.00	है०	1395.94
9	पानी का प्रबंध	1.82	256.00	है०	465.92
10	संकेत पट	1.82	89.00	है०	161.98
11	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	1.82	225.00	है०	409.50
12	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (8 माह)	1.82	8400.00	श्रमिक	67200.00
13	श्रमिकों के दवा आदि	1.82	61.00	है०	111.02
14	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव प्रचार-प्रसार डाक्यूमेंटेशन कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण वाहनों का रख-रखाव आदि)	1.82	2283.00	है०	4155.06
				योग द्वितीय चरण	114367.12

Scanned with OKEN Scanner

	तृतीय वर्ष—अनुरक्षण प्रथम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	निराई एवं गुड़ाई	1.82	2240.00	है0	4076.80
3	घास दबाने हेतु खुदाई / झाड़ी कटान कार्य (वर्ष में दो बार)	1.82	4382.00	है0	7975.24
4	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	1.82	246.00	है0	447.72
5	तारबाड़ मरम्मत	1.82	320.00	है0	582.40
6	अन्य आकस्मिक व्यय	1.82	274.00	है0	498.68
				योग तृतीय चरण	164780.84
	चतुर्थ वर्ष—अनुरक्षण द्वितीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष मे अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	निराई एवं गुड़ाई	1.82	2240.00	है0	4076.80
3	घास दबाने हेतु खुदाई / झाड़ी कटान कार्य (वर्ष में दो बार)	1.82	4382.00	है0	7975.24
4	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	1.82	246.00	है0	447.72
5	तारबाड़ मरम्मत	1.82	320.00	है0	582.40
6	अन्य आकस्मिक व्यय	1.82	183.00	है0	333.06
				योग चतुर्थ चरण	164615.22
	पंचम वर्ष—अनुरक्षण तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	घास दबाने हेतु खुदाई / झाड़ी कटान कार्य (वर्ष में दो बार)	1.82	4382.00	है0	7975.24
3	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	1.82	246.00	है0	447.72
4	अन्य आकस्मिक व्यय	1.82	183.00	है0	333.06
				योग पंचम चरण	159956.02
	षष्टम वर्ष—अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छष्टम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	1.82	183.00	है0	333.06
				योग षष्टम चरण	151533.06
	सप्तम वर्ष —अनुरक्षण पंचम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	1.82	183.00	है0	333.06
				योग सप्तम चरण	151533.06
	अष्टम वर्ष—अनुरक्षण षष्टम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	1.82	183.00	है0	333.06
				योग अष्टम चरण	151533.06
	नवम् वर्ष—अनुरक्षण सप्तम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम् वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	1.82	183.00	है0	333.06
				योग नवम् चरण	151533.06
	दसम वर्ष—अनुरक्षण अष्टम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	1.82	183.00	है0	333.06
				योग दसम चरण	151533.06
				वृक्षारोपण की कुल लागत	1489399.66
				या	1489400.00

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नंधौर

भवदीय,
वन दरोगा,
शारदा राजि, ह0व0प्र0।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न-3

प्रारुप--30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector--Nainital

Dated-07/05/2015

No.--------

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.530** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PD PWD Nainital** (name of user agency) for **C/O Vijaypur Pahadpani Motor** Road (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Vijaypur village (s) in Haldwani tehsil**.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.53 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to **annexure** 30.1

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक 16.12.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत...... विजयपुर ......(बेतालघाट/नैनीताल)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर	क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
	कौरवदत्त	कौरवदत्त		देवादत्त	देवादत्त
	उमेश चन्द्र [illegible]	उमेश		आनन्द बल्लभ	आनन्द बल्लभ
	मदनराम	मदनराम		नारायण दत्त	नारायणदत्त
	लक्ष्मण दत्त	लक्ष्मणदत्त		तारा दत्त	[signature]
	मुकेश चन्द्र	मुकेश चन्द्र		राजेन्द्र सिंह बिष्ट	राजेन्द्र सिंह बिष्ट
	हरिकृष्ण म०	हरीकृष्ण		[illegible] चन्द्र [illegible]	[signature]
	सन्तोष सिंह	[signature]		मुकेश चन्द्र अधारिया	[signature]
	[illegible]	[signature]		रूप राम	[signature]
	चन्दन राम	चन्दन राम		पंकज	Pankaj
	श्याम लाल	श्यामलाल		मोहन चन्द्र	Mohan
	Lal [illegible]	[signature]		Sonu	Sonu
	मोहन चन्द्र	मोहनचन्द्र			
	ईश्वरी दत्त	ईश्वरीदत्त			
	अनूप सिंह	[signature]			
	हरीश चन्द्र	[signature]			
	[illegible]	[illegible] राम			
	नवीन चन्द्र	Naveen			
	प्रेमचन्द्र	[signature]			
	कुन्दनलाल कोटलिया	[signature]			
	धर्मेन्द्र [illegible]	[signature]			
	किशन सिंह [illegible]	[signature]			
	पंकज	[signature]			
	चन्द्र [illegible]	[illegible]			
	त्रिलोक सिंह मेहता [illegible]	[signature]			
	[illegible] सिंह चिलवाल	[signature]			
	सूरज सिंह [illegible]	सूरज सिंह			
	प्रकाश [illegible]	[signature]			
	मदन मोहन	[signature]			

[signature] 16-12-2014
ह० ग्राम सचिव

[signature]
ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत [illegible]

प्रारूप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Deepak Rawat** I.A.S deputy commissioner,. **Distt. Nainital** on dated 07/05/2015 at time 3.00 P.M. at Nainital in which application claiming rights in **1.70** KM area measuring **1.53** hect for the construction of **Vijaypur Pahadpani Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Haldwani** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Nainital

Dated:..07/05/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण।(अस्थायी ख० 1.न०वि० भी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड, स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.575 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज कुमार उपाध्याय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

1. श्री ....पंकज कुमार उपाध्याय.... उपजिलाधिकारी.. अध्यक्ष

2. श्री ....प्रकाश आर्या.... उप प्रभागीय वनाधिकारी.. सदस्य

3. श्री ....एल.डी. राम टम्टा.... सहायक समाज कल्याण अधिकारी.............................. सदस्य/सचिव

4. श्रीमती ....ललिता सिंह.... बी०डी०पी०ओ०. .... सदस्य

(50)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि :—

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 1.75 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.530 है० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 1.75 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे को निर्माण हेतु 1.530 है० वन भूमि में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील Sub Divisional Magistrate
जनपद HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

राजस्व उप निरीक्षक
(मल्लानी)
क्षेत्र ...
तहसील HLD.

ग्राम प्रधान

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग

सदस्य ग्राम पंचायत
देवला मल्ला/देवला तल्ला
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

(47)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमन्त्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के विजयपुर पदमपानी ... मोटर मार्ग ... वन भूमि 1.530 हे0 वन भूमि ...

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-
तहसील- लालकुआँ जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ...विजयपुर पदमपानी मोटर मार्ग... लम्बाई ...कि0मी0... निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु(...1.530...हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि...——...हे0, वन पंचायत भूमि...——हे0) अर्थात कुल...1.530...हे0 वन भूमि का ...अ0अभि0 लो0नि0वि0 नैनीताल... विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...विजयपुर... दि0 16-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना कि निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...विजयपुर (...)...के ग्राम वासियों को उक्त वनभूमि...1.530...हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

16.12.2014
ह0 ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...

प्रधान,
ग्राम पंचायत ...
ह0 ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner